क्रम संख्या–109 (घ)

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, शुक्रवार, 14 नवम्बर, 2025 ई0

कार्तिक 23, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2

संख्या– 344776/XXX(2)/2025–E 26213

देहरादून, 14 नवम्बर, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–15

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2025 में संशोधन किये जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2025 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2025 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4. यदि कोई पद पदोन्नति द्वारा भरा जाता है और ऐसी पदोन्नति के लिए, यथास्थिति, निम्नतर पद या पदों पर कोई निश्चित न्यूनतम सेवा अवधि विहित हो और पात्रता के क्षेत्र में अपेक्षित संख्या में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों, तो सरकार के प्रशासनिक विभाग, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के परामर्श से यथास्थिति उक्त निम्नतर पद अथवा पदों पर यथा निर्धारित परिवीक्षा अवधि को छोड़कर शेष विहित न्यूनतम अवधि में पचास प्रतिशत तक यथोचित रूप से शिथिलीकरण कर सकते हैं:	4. यदि कोई पद पदोन्नति द्वारा भरा जाता है और ऐसी पदोन्नति के लिए, यथास्थिति, निम्नतर पद या पदों पर कोई निश्चित न्यूनतम सेवा अवधि विहित हो और पात्रता के क्षेत्र में अपेक्षित संख्या में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों, तो सरकार के प्रशासनिक विभाग, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के परामर्श से यथास्थिति उक्त निम्नतर पद अथवा पदों पर यथा निर्धारित परिवीक्षा अवधि को छोड़कर शेष विहित न्यूनतम अवधि में पचास प्रतिशत तक यथोचित रूप से शिथिलीकरण कर सकते हैं:
परन्तु, यह कि समूह 'ग' सेवा संवर्ग के पद धारकों को पदोन्नति के लिये यथास्थिति निम्नतर पद अथवा पदों पर पदोन्नति के लिये यथा निर्धारित परिवीक्षा अवधि को छोड़कर शेष विहित न्यूनतम अवधि में 50 प्रतिशत तक यथोचित रूप से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष तथा उनकी अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें वित्त नियंत्रक तथा विभागाध्यक्ष द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे, की संस्तुति पर शिथिलीकरण किया जा सकेगा।	परन्तु, यह कि समूह 'ग' सेवा संवर्ग के पद धारकों को पदोन्नति के लिये यथास्थिति निम्नतर पद अथवा पदों पर पदोन्नति के लिये यथा निर्धारित परिवीक्षा अवधि को छोड़कर शेष विहित न्यूनतम अवधि में 50 प्रतिशत तक यथोचित रूप से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष तथा उनकी अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें वित्त नियंत्रक तथा विभागाध्यक्ष द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे, की संस्तुति पर शिथिलीकरण किया जा सकेगा:
	परन्तु यह और कि यदि किसी सेवा नियमावली में किसी निम्नतर पद से उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हकारी सेवा के साथ–साथ, संवर्ग में अधीनस्थ पदों पर कुल की गयी सेवावधि भी निर्धारित हो, तो ऐसे मामले में निम्नतर पद से उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हकारी सेवा में 50 प्रतिशत की शिथिलता प्रदान किये जाने पर, इस प्रकार प्राप्त होने वाली शिथिलता की समय अवधि को, अधीनस्थ पदों पर सेवा की कुल अवधि में भी शिथिल कर दिया जायेगा:
	उदाहरण– यदि किसी संवर्ग में पद "क" से पद "ख" में पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हकारी सेवावधि 06 वर्ष विहित है (जिसमें 02 वर्ष की

परिवीक्षा अवधि भी सम्मिलित है) तथा इस प्रकार की पदोन्नति हेतु अधीनस्थ पदों पर कुल 18 वर्ष की सेवा होनी भी आवश्यक है तो, इस स्थिति में उक्तानुसार 50 प्रतिशत की शिथिलता का फार्मूला निम्नवत् होगाः–

अर्हकारी सेवा–परिवीक्षा अवधि (06 वर्ष–02 वर्ष)=04 वर्ष का 50 प्रतिशत = 02 वर्ष

इस प्रकार प्रश्नगत पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा में 02 वर्ष का शिथिलीकरण अनुमन्य होगा। इस शिथिल सेवावधि को पदोन्नति हेतु अधीनस्थ पदों पर कुल सेवावधि में भी शिथिल कर दिया जायेगा अर्थात् इस प्रकरण में पदोन्नति हेतु अधीनस्थ पदों पर 16 वर्ष (18 वर्ष–02 वर्ष) की कुल सेवावधि तथा ठीक नीचे के पद पर की गयी सेवा की अवधि 04 वर्ष होनी चाहिए।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,
सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. **344776/XXX(2)/2025-E 26213,** Dated November 14, 2025 for general information.

No. 344776/XXX(2)/2025-E 26213
Dehradun, Dated November 14, 2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules to amend The Uttarakhand Government Servants Relaxation in Qualifying Service for Promotion Rules, 2025 : -

The Uttarakhand Government Servants Relaxation in Qualifying Service for Promotion (Amendment) Rules, 2025.

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Government Servants Relaxation in Qualifying Service for Promotion (Amendment) Rules, 2025.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of rule 4

2. In the Uttarakhand Government Servants Relaxation in Qualifying Service for Promotion

Rules, 2025, for the existing rule 4, as set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely

Column 1 Existing Rule	Column 2 Rule as hereby substituted
4. In case a post is filled by promotion and for such promotion a certain minimum length of service is prescribed on the lower post or posts, as the case may be and the required number of eligible persons are not available in the field of eligibility, such remaining prescribed minimum length of service may be relaxed up to fifty percent in a reasonable manner by the Administrative Department of the Government with the consultation of the Personnel and Vigilance Department, excluding the period of probation as laid down for the said lower post or posts, as the case may be:	4. In case a post is filled by promotion and for such promotion a certain minimum length of service is prescribed on the lower post or posts, as the case may be, and the required number of eligible persons are not available in the field of eligibility, such remaining prescribed minimum length of service may be relaxed up to fifty percent in a reasonable manner by the Administrative Department of the Government with the consultation of the Personnel and Vigilance Department, excluding the period of probation as laid down for the said lower post or posts, as the case may be:
Provided that the minimum period prescribed for promotion to the lower post or posts, as the case may be for promotion to the post holders of Group 'C' service cadre may be, relaxed up to 50 per cent of the remaining prescribed minimum period, excluding the probation period as prescribed for promotion, on the recommendation of the concerned Head of Department and a committee constituted under his chairmanship, in which the Finance Controller and another officer nominated by the Head of Department shall be members.	Provided that the minimum period prescribed for promotion to the lower post or posts, as the case may be, for promotion to the post holders of Group 'C' service cadre may be, relaxed up to 50 per cent of the remaining prescribed minimum period, excluding the probation period as prescribed for promotion, on the recommendation of the concerned Head of Department and a committee constituted under his chairmanship, in which the Finance Controller and another officer nominated by the Head of Department shall be members.

Provided further that if in any service rules, along with the minimum qualifying service for promotion from a lower post to a higher post, the total period of service on subordinate posts in the cadre is also prescribed, then in such a case, on providing relaxation of 50 per cent in the minimum qualifying service for promotion from a lower post to a higher post, the time period of relaxation so obtained shall also be relaxed in the total period of service on subordinate posts.

Example- If in a cadre the minimum qualifying service period for promotion from post "A" to post "B" is prescribed as 06 years (which includes 02 years' probation period) and for such promotion it is also necessary to have 18 years of service on subordinate posts, then in this situation the formula for relaxation of 50 percentage as mentioned above shall be as follows: -

Qualifying service-probation period (06 years-02 years) = 50% of 04 years = 02 years

Thus, relaxation of 02 years in qualifying service shall be permissible for the promotion in question. This relaxed service period shall also be relaxed in the total service period on subordinate posts for promotion i.e. in this case for promotion the total service period on subordinate posts should be 16 years (18 years-02 years) and the period of service on the post immediately below should be 04 years.

By Order,

SHAILESH BAGAULI,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09/कार्मिक/493–2025–100+100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।